"प्ररूप 26

(नियम 4 क देखिए)

विधानसभा क्षेत्र 65 मैहर के निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग–क

मैं.....रामकुशल.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... बैद्यनाथ .....आयु.....38.

.....वर्ष जो ग्राम सिघौली पोस्ट गाड़ा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 (डॉक का पूरा पता लिखें) का निवासी हैं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

(1) मैं राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप मे लड़ रहा हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दें) रामकुशल

उपाबंध-X

(अध्याय-V, पैरा 5.13)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त 2012

का. आ. 1732 (अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2012 है.

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्ररूप 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

विधानसभा क्षेत्र 65 मैहर .... निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा .... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं रामकुशल ** पुत्र/पुत्री/पत्नी बैजनाथ आयु 38 वर्ष, जो ग्राम सिधौली पो० ग्राम व० रामपुर बघेलान जिला सतना म०प्र० (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:—

(1) मैं राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी .... (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

रामकुशल

(2) मेरा नाम रामपुर उपेलाज 67 .... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 182 में क्रम सं 943 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9424656557. . . . है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) . . . . है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	BPJPM5234A	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित - 1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित - 2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित - 3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:—

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे।	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की (धारा धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	शून्य

रामकुशाल

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:—

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)।	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति ।	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं:—

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

रामकुशल

टिप्पण 2–जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3–सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4–यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5–रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी ज्योति	आश्रित–1 पुष्पांजली	आश्रित–2 धर्मेन्द्र	आश्रित–3 नरेन्द्र
(i)	हाथ में नकदी	1,00,000	50,000/-	निरंक	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा के रकम।	SBI शाखा [illegible] 50000/- [illegible] 10000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और व्यक्तियों से अन्य प्राप्त तथा रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

रामकुशल

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)।	MP36 7891 2012 मे 15000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) व भार और मूल्य के ब्यौरे)।	2 तोला सोना 55000/-	10 तोला सोना 280000/- चांदी 1 kg 35000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	185000/-	365000/-	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी 1-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2-प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)। सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	ग्राम [illegible] रिछोली 221 2301	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.704	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)।	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

रामकुशल

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	17,10,610	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्यांक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्यांक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

रामकुशल

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित	आश्रित-2	आश्रित-3
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्यांएं)।	[illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	[illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)।	[illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	300000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	500000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य।	2200000-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

रामकुशल

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं:-

टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

रामकुशाल

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

(क) स्वयं .... मैकेनिक

(ख) पति या पत्नी .... गृहणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:—

आठवीं पास

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. रामकुशल
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम सिरौली पो० गाड़ा तह० रामपुर बघेलान जिला सतना
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	67 (रामपुर बघेलान) 182 (म०प्र०)

रामकुशल

4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)।	राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न।	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए।	शून्य

7.		..... का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	BP1PM5234A	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)

		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,85,000/-	3,65,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख.		स्थावर आस्तियां	22,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	1	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
DIST. COURT SATNA

रामकुशाल

		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		. . . . की					
	III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.		दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.		ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: आठवीं पास सन् 1966 (प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:—

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धी का मामला या लंबित मामले में भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है.

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की दर 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है.

आज तारीख 25/1/16 को सत्यापित किया गया।

रामकुशाल
अभिसाक्षी

SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

रामकुशाल

IDENTIFIED BY
NAME — K.P. Pal
ADDRESS — Advocate
SIGNATURE —

टिप्पण 1- शपथ-पत्र नामांकन फाइल कराने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2- शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3- सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- शपथ-पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[फा. सं. एच-11019(6)/2012-वि. II]
डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया—

(1) संख्यांक का. आ. 1128(अ), तारीख 8 मई, 2007।

(2) संख्यांक का. आ. 425(अ), तारीख 23 फरवरी 2011।

Note 5: In pursuance of the Judgment dated 13.09.2013 of the Hon'ble Supreme Court in WP(C) No. 121 of 2008-Resurgence India VS Election Commission of India and other, regarding the filing of incomplete affidavit of candidates, the candidates are required to fill up all columns therein. No column can be left blank. At the time of filing of affidavit, RO has to check whether all columns of the affidavit filed with the nomination paper are filled up. If not, the RO shall give a reminder to the candidate to furnish information against blank columns. The Hon'ble court has held that if there is no information to be furnished against any item, appropriate remarks such as 'Nil' or 'Not Applicable' or 'Not Known' as may be applicable shall be indicated in such column. They should not leave any column blank if a candidate fails to fill the blanks even after reminder, the nomination paper will be liable to be rejected by the RO at the time of scrutiny of nomination papers.

Note 6: In para 3 of the affidavit, the information should be furnished as follows:-

"My contact telephone no. (s) is/are.....

my e-mail id (if any) is .....

and my social media accounts (if any) are ....."